कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

सहकार संवाद

जुलाई 2022 अंक-06, वर्ष-02 (मासिक)

निबंधक की कलम से

राज्य के कृषक परिवारों को कैसे लैम्पस/पैक्स से अधिक अधिक संख्या में जोड़ कर उन्हें ना सिर्फ समय पर ऋण, उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र, उपलब्ध कराने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम देश और दुनिया से जोड़ने के लक्ष्य के साथ साथ बाढ़ – सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय कैसे उन्हे आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाय इसी ध्येय एवं उद्देश्य के साथ सहकारिता प्रभाग कार्य कर रहा है।

राज्य में 38 लाख से अधिक किसान परिवार हैं किंतु समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आयी की उन परिवारों में से 3 जुलाईए 2022 तक सिर्फ 9,96,033 परिवार ही लैम्पस एवं पैक्सों के सदस्य हैं। सहकारी समितियों के अध्यक्ष– सदस्य सचिव एवं प्रबंधकारिणी समिति में अपने वर्चस्व कम होने के डर से अथवा अन्य कई कतिपय कारणों से नये परिवारों को समिति का सदस्य बनाना नहीं चाहते हैं वहीं दूसरी ओर जागरुकता/जानकरी अथवा पदाधिकारियों का भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने के कारण उस पंचायत के लोग लैम्पस–पैक्स की सदस्यता नहीं ले पाते हैं। इन्हीं सब कारणों को दूर कर अधिक से अधिक परिवारों को सहकारिता से जोड़ने के उद्देश्य से चार जुलाई, 2022 से 3 अगस्त, 2022 तक पूरे एक माह राज्य के सभी लैम्पसों एवं पैक्सों में व्यापक पैमाने पर एक साथ कैंप लगाकर सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया गया।

लैम्पस/पैक्स के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अथक प्रयास एवं जन प्रतिनिधियों के सहयोग से सदस्यता वृद्धि अभियान के माध्यम से 4,42,670 नये परिवारों को लैम्पस एवं पैक्सों से जोड़ा गया।

झारखण्ड राज्य में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसमें बुआई का रकबा (Net Sown Area) लगभग 25.6 लाख हेक्टेयर है। राज्य की कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित है, बुआई के क्षेत्र का लगभग 12 प्रतिशत ही सिंचित है। राज्य में सामान्य रुप से वार्षिक वर्षा 1300 मिमी होती है जिसका 82 प्रतिशत केवल मानसून जून मध्य से सितंबर माह के दौरान होती है। इस वर्ष मानसून के दौरान वर्षा में अत्याधिक कमी की नजर आई है। अनियमित मानसून, सुखाड़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल क्षति की स्थिति में राज्य के किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना लागू की गयी है। यह योजना पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के स्थान पर सार्वजनिक धन को सुरक्षित रखने और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लायी गयी है। योजना के अंतर्गत सभी रैयत एवं बटाईदार किसान जो रैयत से सहमति पत्र प्राप्त हों को सम्मिलित किया गया है।

राज्य में उत्पादन होने वाले प्रमुख खरीफ फसलों धान और मक्का तथा रबी फसलों गेहूँ, सरसों, चना और आलू को योजना अंतर्गत आच्छादित किया गया है। योजना अंतर्गत पंजीकरण एवं आवेदन करने के लिए किसानों द्वारा कोई प्रीमियम नहीं दिया जाना है।योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से हुए फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण फसल कटाई अनुप्रयोग (Crop Cutting Experiment) के आधार पर किया जाएगा। फसल क्षति की स्थिति में अधिकतम 20 हजारी रूपये की सहायता राशि उनके आधार संबद्ध बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) के द्वारा भेजी जाएगी।

इस कार्य हेतु राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सहकारिता प्रभाग द्वारा झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना पर युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है तथा वैसे कृषकों का निबंधन जारी है जिनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है।

मेरी सभी वैसे पात्र कृषक भाईयों से अपील है कि वे यथाशीघ्र अपना निबंधन स्व्यं अथवा नजदीक के लैम्पस/पैक्स में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर अथवा प्रज्ञा केन्द्र में कराएं ताकि उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

लेख लिखे जाने तक राज्य में खरीफ के लिए 12,71,926 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है तथा 5,25,370 किसानो ने "खरीफ 2022" हेतु आवेदन किया है।

शुभ कामनाओं सहित

मृत्युंजय कुमार बरणवाल
निबंधक

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के त्वरित एवं ससमय क्रियान्वयन हेतु श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिनांक 21–07–2022 को उन्मुखीकरण बैठक आयोजित किया गया। बैठक में मंत्री महोदय के अलावा श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी., सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, श्री मृत्युंजय कुमार बर्णवाल, निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी जिलों से झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के तहत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से चर्चा की गई।

झारखण्ड राज्य में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसमें बुआई का रकबा (Net Sown Area) लगभग 25.6 लाख हेक्टेयर है। झारखण्ड राज्य में कृषि मुख्य रुप से वर्षा आधारित है और बुआई के क्षेत्र का लगभग 12 प्रतिशत सिंचित है। राज्य में सामान्य रुप से वार्षिक वर्षा 1300 मिमी होती है जिसका 82 प्रतिशत केवल मानसून (जून मध्य से सितंबर) के दौरान प्राप्त होती है। विगत वर्षों में मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण विचलन एवं कमी प्रदर्शित हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि (जून से सितंबर) में राज्य की सामान्य वर्षा 1054.7 मिमी रही है एवं वर्ष 2017, वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 के दौरान सामान्य वर्षा में में क्रमशः –9%, –28%, –19%, –15%, और –1% की कमी दर्ज की गई है। राज्य में मानसून अनियमितता से कृषक समुदाय को बहुत सारी चुनौतियों यथा बुआई के क्षेत्र में कमी, सुखाड़, फसल उपज में कमी इत्यादि का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होती है। इस वर्ष भी मानसून के दौरान वर्षा में अत्याधिक कमी की आशंका है जिससे खरीफ फसल मुख्य रुप से धान की खेती प्रभावित होने संभावना है।

अनियमित मानसून, सुखाड़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल क्षति की स्थिति में राज्य के किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना लागू की गयी है। यह योजना पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के स्थान पर सार्वजनिक धन को सुरक्षित रखने और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लायी गयी है।

योजना के अंतर्गत केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति के मामले में किसानों को सुनिश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत सभी रैयत एवं बटाईदार किसान (जो रैयत से सहमति पत्र प्राप्त हों) को सम्मिलित किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रत्येक फसल मौसम (खरीफ एवं रबी) में अलग अलग ऑनलाइन निबंधन एवं आवेदन करना होगा। इच्छुक किसान ऑनलाइन निबंधन एवं आवेदन झारखण्ड फसल राहत योजना के वेब पोर्टल https://jrfry.jharkhand.gov.in पर स्वयं द्वारा अथवा प्रज्ञा केंद्र में कर सकते हैं। योजना अंतर्गत पंजीकरण एवं आवेदन करने के लिए किसानों द्वारा कोई प्रीमियम नहीं दिया जाना है। राज्य में उत्पादन होने वाले प्रमुख खरीफ फसलों (धान और मक्का) तथा रबी फसलों (गेहूँ, सरसों, चना और आलू) को योजना अंतर्गत आच्छादित किया गया है। योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से हुए फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण फसल कटाई अनुप्रयोग (Crop Cutting Experiment) के आधार पर किया जाएगा। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित 30% से 50% तक फसल क्षति की स्थिति में आवेदक को प्रति एकड़ 3000 रुपयों की सहायता राशि दी जाएगी। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित 50% से अधिक फसल क्षति की स्थिति में आवेदक को प्रति एकड़ 4000 रुपयों की सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी। सहायता राशि पात्र किसानों के आधार संबद्ध बैंक खाता में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) के द्वारा भेजा जाएगा। योजना के सुचारु क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति, जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं प्रखंड स्तर पर अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना में किसान कॉल सेंटर की भूमिका

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना से संबंधित जानकारी किसानों तक पहुंचाने एवं शिकायतम में किसान कॉल सेंटर की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, इसी के मद्देनजर किसान कॉल सेंटर के कर्मियों हेतु 23 जुलाई, 2022 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के तकनीकी सहायता दल द्वारा प्रशिक्षण दिया गया जिसमें कृषि निदेशालय द्वारा संचालित किसान कॉल सेंटर के 10 कर्मी सम्मिलित हुए।

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को योजना के अंतर्गत पंजीकरण एवं आवेदन करने करने की संपूर्ण प्रक्रिया का मानक परिचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के द्वारा अवगत कराया गया। प्रतिभागियों को किसान कॉल सेंटल के हेल्पलाइन नं0 1800–123–1163 पर आनेवाले योजना से संबंधित किसानों के प्रश्नों को समुचित एवं सरलता पूर्वक संबोधित करने का आग्रह किया गया।

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत ''खरीफ 2022'' हेतु वेबपोर्टल पर किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया 21 जुलाई 2022 से प्रारंभ की गई है। लेख लिखे जाने तक 12,71,926 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकण कराया है एवं 5,25,370 किसानो ने ''खरीफ 2022'' हेतु आवेदन किया है।

किसान कॉल सेंटल का हेल्पलाइन नं0 1800–123–1163

आधुनिक विधि/औजारों के माध्यम से लघुवनोपजों की विनाश-विहीन विदोहन योजना

(Sustainable Harvesting of Minor Forest Produce by Modern Tools/equipments) अंतर्गत लघुवनोपज संग्राहकों/किसानों के बीच Sustainable Harvesting tool kit वितरण कार्यक्रम-

झारखण्ड राज्य लघुवनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लि॰ (झाम्फकोफेड) राज्य का एक शीर्ष सहकारी संघ है जिसका मुख्य कार्य लघुवनोपजों का आहरण, विपणन, विकास, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर संबद्ध समितियों (जो मुख्यतः आदिवासी समुदाय से होते हैं) को उचित मूल्य दिलाना है।

झाम्फकोफेड द्वारा लघुवनोपज संग्राहकों/किसानों को उनके संग्रहित उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित "MSP for MFP Scheme" अंतर्गत राज्य के 9 जिलों में 92 प्राथमिक आहरण केन्द्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघुवनोपजों का आहरण किया जा रहा है।

लघुवनोपजों के संग्रहण मे होने वाली कठिनाईयों को दूर करने, वनोत्पादो की गुणवत्ता एवं मात्रा मे वृद्धि करने तथा संग्रहण की वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर वनो के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "Sustainable Harvesting of Minor Forest Produce By Modern Tools/Equipments" योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 680 लघुवनोपज संग्राहकों को झपज वितरण किया जा रहा है इसी क्रम में माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा नामकुम लैम्पस परिसर, राँची में रनियाँ लैम्पस, खूँटी तथा सोदे लैम्पस खूँटी के 20–20 लघुवनोपज संग्राहकों को शत प्रतिशत अनुदान पर Tool kit प्रदान किया गया।

माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा नामकुम लैम्पस परिसर, राँची में "Sustainable Harvesting Tool Kit" प्राप्त करते हुए रनियाँ लैम्पस लि॰ तथा सोदे लैम्पस लि॰, खूँटी के लघुवनोपज संग्राहक/किसान

इस Tool kit में प्रदत्त Tools निम्न प्रकार से उपयोगी है :–

क्र.	Tool Kit का नाम	विनाश–विहीन विदोहन में उपयोग
1.	Telescopic Ladder	कम भार वाली यह Folding सीढ़ी सुगमता से बड़े वृक्षों के उपर चढ़ने में उत्यंत उपयोगी है।
2.	Safety Rope with hooks	वनोपज संग्राहकों की सुरक्षा हेतु Safety Harness के रूप में प्रयोग की जाती है।
3.	Fruit Picker	छोटे/बड़े आकार के पके फलों को तोड़ने हेतु उपयोगी।
4	Telescopic Pipe	Fruit Picker तथा Fruit Catchar के माध्यम से संग्रहण में सहायक।
5	Fruit Catchar	गुच्छेदार फालों/उँचे वृक्षों से फलों का तोड़ेने में उपयोगी।
6	Pruner	वृक्षों की छँटाई में उपयोगी।
7	Harvesting Net	मछुआ, जामुन, बेर आदि के संग्रहण में प्रयुक्त।
8	Fruit Caret	फलों/लघुवनोपजों को एकत्रित कर ढुलाई करने हेतु।
9	Tarpauline Mat	लघुवनोपजों की सफाई एवं सुखाने मे उपयोगी।
10	Carrying Bag	Tool kit की सुरक्षित ढुलाई/यातायात हेतु उपयोगी।

आधुनिक विधि/औजारों के माध्यम से लघुवनोपज का विनाश विहीन विदोहन योजना

हार्वेस्टिंग की पारंपरिक विधि **हार्वेस्टिंग की आधुनिक विधि**

प्रथम चरण में 680 लघुवनोपज संग्राहकों जो राज्य के 9 लघुवनोपज बहलू जिलों के है उन संग्राहकों को शत् प्रतिशत अनुदान पर "Sustainable Harvesting Tool Kit" उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बहुउपयोगी Tool Kit के उपयोग से लघुवनोपज संग्राहकों की संग्रहण क्षमता तथा वनोत्पाद की गुणवत्ता में आशातीत वृद्धि हो रही है।

कृषि एवं वनोपज के माध्यम से झारखण्ड का विकास संभव है

श्री हेमन्त सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड सह – अध्यक्ष सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि० रांची द्वारा संघ के कार्यों को प्रारंभ करने की दिशा में करवाई करने के निर्देश के अलोक में दिनांक 3 अगस्त 2022 को निदेशक पार्षद की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में माननीय मुख्यमंत्री तथा राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री सह–सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि० रांची के उपाध्यक्ष श्री बादल के अलावा संघ की निदेशक पार्षद के पदेन एवं नामित निदेशकगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि राज्य में उपलब्ध सभी प्रमुख कृषि एवं वनोपजों का पूरा समयवार डाटाबेस तैयार करें। डेटाबेस तैयार कर उसके अलोक में अनुसार इन सभी उपजों के वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए मैकेनिज्म को तैयार किया जाय ।

मुख्यमंत्री द्वारा संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निदेशित किया गया की वो वनोपज तथा कृषि उपज से संबंधित राज्य एवं देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से समन्वय स्थापित कर एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं साथ ही कृषि उपज की क्षमता विकास के लिए एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने किय जय ताकि इससे जुड़े लोगों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत मिल सके

मानव बल की कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि० के विभिन्न कार्यों तथा गतिविधियों के ससमय निष्पादन हेतु जल्द आवश्यक एवं सक्षम मानव बल नियुक्त की जाय। सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि० राज्य के वन क्षेत्रों में उत्पादित वनोपज का संग्रहण, मार्केटिंग तथा प्रोसेसिंग बेहतर तरीके हो सके यह सुनिश्चित कराएं।

मुख्यमंत्री ने स्टेट प्रोक्यूरमेंट एवं मार्केटिंग पॉलिसी निर्धारण हेतु कमेटी एवं स्टेट क्रेडिट लिंकेज पॉलिसी निर्धारण हेतु कमेटी का गठन करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। बैठक में सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि० के निबंधित उपविधि को अंगीकार किया गया इसके आलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार–विमर्श किया गया उन्हें पारित करते हुए उनपर करवाई का निदेश दिया गया।

झारखण्ड की पहचान यहाँ के जल जंगल पहाड़ और उनमे पैदा होने वाले वनोत्पाद तथा कृषि उपज हैं।

इस राज्य में कृषि उपज के अलावा इमली, महुआ, साल बीज, पत्ते, लाह, करंज, चिरौंजी, सहित कई प्रकार के अन्य वनोत्पाद एवं औषधीय पौधे बहुतायत मात्र में पाए जाते हैं किन्तु इनके विशेषकर वनोत्पाद उत्पाद के क्रय, विपणन, प्रसंस्करण इत्यादि की कोई सुनियोजित व्यवस्था के आभाव में इनके संग्रकर्ताओं को परंपरागत बाजार व्यवस्था और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

राज्य सरकार ने किसानों एवं वनोपज पर निर्भर परिवारों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए एक राज्यस्तरीय ऐसे सहकारी संघ के निर्माण का निर्णय लिया जो सहकारिता के माध्यम से राज्य की कृषि एवं वनोपज को एक सुनियोजित कार्ययोजना बना कर एक नयी दिशा दे सके।

इसी सोच के आधार पर सरकार द्वारा सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि० रांची का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री है तथा उपाध्यक्ष राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री है। इसके अलावा वन, प्रयावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वित्त विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपरमुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव, संघ की निदेशक पार्षद के पदेन निदेशक हैं। भारतीय वन सेवा के अपरमुख्य प्रधान वन सरंक्षक स्तर के पदाधिकारी संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं।

राज्यस्तरीय संघ की तर्ज पर सभी 24 जिलों में जिला उपयुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि० का गठन किया जिसके प्रबंध निदेशक उस जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है।

सहकारी समितियों में निर्वाचन

झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 यथासंशोधित 1997 एवं 2012 के नियम –21 में सहकारी समितियों में निर्वाचन के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान है। नियमावली के नियम 21 (ख) में सहकारी समितियों के वर्ग या वर्गों में निर्वाचन – सह – विशेष आमसभा संपन्न कराने हेतु संचालन पदाधिकारी की शक्ति विभिन्न स्तर की समितियों के अनुसार प्रदत्त है।

संचालन पदाधिकारी का दायित्व :

1. संचालन पदाधिकारी अपने–अपने कार्यालय में निर्वाचन–सह–विशेष आमसभा के नाम से पंजी संधारित करेंगे। पंजी में लैम्पसवार, पैक्सवार, व्यापारमंडलवार तथा विशेष प्रकार की सहकारी समितियों वार के निर्वाचन की तिथि, निर्वाचन पदाधिकारी/आनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम, निर्वाचित प्रबंध समिति को अध्यक्ष एवं सचिव का पूरा नाम एवं पता अंकित करते हुए पंजी को सदैव अद्यतन रखा जाय।

2. उक्त पंजी में गत निर्वाचन की तिथि, आगामी देय निर्वाचन की तिथि अंकित रहेगा।

3. जिस तिथि को प्रबंध समिति का निर्वाचन देय है या जिस समिति की प्रबंध समिति अवक्रमित है, के सदस्यों की सूची नियमावली के नियम 21 (झ) के अनुसार उस तिथि से पूर्व के सहकारिता वर्ष अर्थात 31 मार्च के आधार पर निर्वाचन देय समितियों का निर्वाचन कराने हेतु सदस्यता सूची 15 अप्रैल तक तैयार करायेंगे। नियमावली के नियम 21 (झ) (3) के अनुसार यदि समिति निर्धारित अवधि के अंदर मतदाता सूची तैयार करने में विफल होती है, तो निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं एवं उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति मतदाता सूची तैयार करेंगे।

4. सदस्य सूची प्रपत्र गगपपप अथवा गगपअ (समिति के अनुसार) में सदस्य सूची में सदस्य का पता सही–सही लिखा जाना वांछनीय होगा (प्रपत्र का प्रारूप संलग्न)। यदि समिति संबंधंक (Affiliated) समिति हो, तो सदस्य सूची के साथ संबंधक समिति के प्रतिनिधियों का नाम, उनका पता, अयोग्यता यदि कोई हो तथा अन्य सूचनाएँ अंकित रहेगी। सदस्यता सूची, समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा प्रशासक के द्वारा सत्यापित की जायेग, जिसे निर्वाचन संपन्न कराने के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

5. उपर्युक्त तैयार की गयी पंजी के अनुसार अकार्यशील/मृतप्राय समितियों के परिसमापन करने की कार्रवाई की जाय। परिसमापन योग्य समितियों की सूची 31 जुलाई 2022 तक समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी जानी चाहिए।

6. समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने एवं पारदर्शिता के लिए निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु नियमावली के नियम 21 (घ) के आलोक में नियुक्त निर्वाचन पदाधिकारी/आनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी तथा नियमावली के नियम 21 (ग.) एवं (ड.) के आलोक में निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार समिति के माध्यम से कार्यक्षेत्र में कराया जाय। सभी कार्यक्रमों की तिथि, समय तथा स्थान को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हुए सभी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से समिति के मुख्यालय में ही आयोजित होने चाहिए।

7. नियमावली के नियम 21 (फ) के आलोक में सहकारी समितियों के निर्वाचन पर होने वाले व्यय की राशि का निर्धारण कर इसकी स्वीकृति संबंधित संचालन पदाधिकारी द्वारा विशेष या सामान्य आदेश के द्वारा दिया जाना चाहिए। निर्वाचन पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन के लिए कोई भी राशि निर्वाचन पदाधिकारी/आनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी को नहीं दी जायेगी, अन्यथा समिति के प्रबंधन के साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी/आनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हो सकती है।

8. निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की बाधा के कारण विधि व्यवस्था भंग न हो, इस हेतु निर्वाचन पदाधिकारी/आनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी के अनुरोध पर संचालन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से दण्डाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराना चाहिए।

9. निर्वाचन प्रक्रिया की सतत पर्यवेक्षण हेतु आवश्यकतानुसार संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है तथा तत्सबंधी प्रतिवेदन पर्यवेक्षकों के द्वारा नियमित रूप से संचालन पदाधिकारी को समर्पित की जानी चाहिए।

10. समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन नियमानुसार समय पर संपन्न कराने की पूर्ण जवाबदेही संबंधित संचालन पदाधिकारी की होती है।

11. निर्वाचन पदाधिकारी/अनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से करते हुए इसकी सूचना संबंधित समितियों के साथ ही विभागीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना होता है। आलोच्य वर्ष में दिनांक–30.06.2022 तक निर्वाचन देय समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित करना चाहिए। वैसी समितियाँ, जिनकी प्रबंध समिति किसी वैधानिक कारणों से या स्वतः अवक्रमित हो गयी है, उनमें प्रशासक नियुक्ति/तदर्थ बोर्ड गठन (जैसी स्थिति हो) के उपरान्त निर्वाचन पदाधिकारी/अनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति कर संबंधित संचालन पदाधिकारी के द्वारा अविलंब निर्वाचन संपन्न कराना चाहिए।

12. सहकारी समितियों में प्रबंध समिति का निर्वाचन कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा एवं अनुश्रवण प्रत्येक माह जिला एवं प्रमण्डल सभी स्तर पर होनी चाहिए, जिसमें उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के अनुपालन की समीक्षा करनी चाहिए।

13. उक्त विषय पर निबंधक स्तर पर आयोजित होने वाली बैठको में समीक्षा की जाती है।

निर्वाचन पदाधिकारी/आनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व :

1. निर्वाचन पदाधिकारी/आनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 यथासंशोधित 1997 एवं 2012 के नियम –21–ञ (1) (i) (ii) (iii) (iv) एवं (2), नियम 21 (ट) तथा 21 (ड.) का अनुपालन निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम के पूर्व यथासमय करा लेना चाहिए।

2. निर्वाचन पदाधिकारी/आनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन संपन्न कराने के क्रम संबंधित समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबंध समिति का गठन करना चाहिए।

3. झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 यथासंशोधित, 2015 की धारा 14 (8)–सह–पठित धारा 2 (छछ) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित समिति अथवा संचालन पदाधिकारी के कार्यालय से गत संपन्न हुए दो निर्वाचन परिणामों का अवलोकन करना चाहिए, ताकि प्रबंध समिति का कोई सदस्य दो क्रमवार अवधि में पदधारी होने के उपरान्त तीसरी बार निर्वाचित न हो सके।

4. झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 यथासंशोधित, 2015 की धारा 14 (2) के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से दो स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए वैसी समितियों के लिए आरक्षित हैं, जिन समितियों के लिए उक्त वर्ग या कोटि के सदस्य होंगे।

5. कार्यालय महाधिवक्ता, झारखण्ड के द्वारा दिए गए विधिक सलाह में सर्वोच्च न्यायालय के वाद सं0– State of U.P. vs Pawan Kumar Tiwari Reported in (2005) 2 SCC 10 का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया गया है कि जिन समितियों में प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या विषम होगी, वैसी स्थिति में 0.5 प्रतिशत की स्थिति में आरक्षित पद निकटम संख्या होगी। उदाहरणार्थ यदि प्रबंध समिति में पदधारियों के लिए कुल संख्या– 07 होने की स्थिति में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के आलोक में 03 स्थान महिलावर्ग के लिए आरक्षित रहेगा।

6. निर्वाचन की स्थिति में मतदाताओं के पहचान हेतु निर्वाचन पदाधिकारी/अनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हित पहचान पत्रों की अनिवार्यता सुनिश्चित करनी चाहिए।

7. नियमावली के नियम 21 (च) के आलोक में निर्वाचन पदाधिकारी/अनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तथा उन्हें मतपेटियाँ, मत–पत्र, अंतिम मतदाता सूची की एक प्रति तथा ऐसे सभी आवश्यक उपसाधन उपलब्ध कराया जाता है, जो निर्वाचन संपन्न कराने के लिए आवश्यक है।

8. निर्वाचन कार्य में आवश्यकतानुसार सिर्फ सरकारी सेवकों को ही मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए, जिनका समिति के कार्य–कलापों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं हो चाहिए। इस संबंध में आवश्यकतानुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु संचालन पदाधिकारी के समक्ष अधियाचना की जा सकती है।

9. नियमावली के नियम 21 (ट) (2) के अनुसार वैसी समितियाँ, जिनका वार्षिक व्यवसाय, लेन–देन गत सहकारी वर्ष में 5 लाख रू0 से अधिक है, अपने सदस्यों को विशेष आमसभा की सूचना स्थानीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जानी चाहिए तथा वैसी सहकारी समितियाँ, जिनका वार्षिक व्यवसाय, लेन–देन गत सहकारी वर्ष में 5 लाख रू0 से कम है, अपने सदस्यों को विशेष आमसभा की सूचना ढ़ोल/डुगडुगी पिटवाकर अथवा लाउडस्पीकर से प्रचार कराकर तथा समिति कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चिपका देना चाहिए। परन्तु यह कि नियमावली के नियम 21 (ट) (3) के अनुसार सूचना नामांकन की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व निर्गत होनी चाहिए तथा नामांकन की तिथि एवं निर्वाचन–सह–विशेष आमसभा की तिथि के बीच 10 दिनों से कम का अंतर नहीं रहेगा। सूचना में निर्वाचन पदाधिकारी तथा अनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी का नाम एवं पता भी उल्लिखित रहना चाहिए।

10. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के साथ एक सामान्य सूचना भी प्रकाशित करेंगे, जिसमें उक्त मतदाता सूची पर आपत्ति दाखिल करने की तिथि, आपत्तियों के निष्पादन की तिथि का उल्लेख रहेगा। परन्तु मतदाता सूची के प्रकाशन एवं सामान्य सूचना प्रकाशित करने की तिथि और आपत्ति दाखिल करने की तिथि के बीच 07 दिनों से कम का अंतर नहीं रहेगा। प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के उपरान्त अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी तथा इसके आधार पर मतदाताओं को निर्वाचन कार्यक्रमों की सूचना भेजी जायेगी। समिति अपने कार्यालय में अंतिम मतदाता सूची की प्रति कार्यालय अवधि के दौरान अवलोकनार्थ उपलब्ध रखेगी तथा किसी सदस्य के द्वारा मांग किए जाने पर मतदाता सूची की प्रति समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराना चाहिए।

11. नियमावली के नियम 21 (ढ़) के अनुसार नामांकन का प्रस्ताव विहित–प्रपत्र ग्ट में निर्वाचन पदाधिकारी को संबोधित रहता है। अभ्यर्थी अपना नामांकन व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में एक संधारित पंजी में क्रमवार प्रविष्टि की जायेगी। परन्तु यह कि नामांकन का प्रस्तावक तथा समर्थक स्वयं अभ्यर्थी के अतिरिक्त कोई अन्य मतदाता होगा (प्रपत्र का प्रारूप संलग्न)।

12. नामांकन की जांच के समय निर्वाचन पदाधिकारी– नामांकन पत्र में नाम या संख्या के संबंध में किसी लेखन गलती को शुद्ध करने की अनुमति दे सकते हैं, जिससे कि वह अंतिम मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टियों से मेल खा जाये। नामांकन पत्रों की जांच के समय प्रत्येक नामांकन पत्र पर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय निर्वाचन पदाधिकारी को पृष्ठांकित करना चाहिए। अस्वीकृति की अवस्था में अस्वीकृति के कारणों का विवरण भी लिखित रूप से अंकित होना चाहिए। किसी मतदाता द्वारा नामांकन पर की गयी आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी को संबोधित होगी। निर्वाचन पदाधिकारी नियमावली के नियम, 23 के आलोक में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करेंगे।

13. नामांकन की वापसी के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र गगअप में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन पदाधिकारी को दिया जायेगा।

14. नियमावली के नियम 21 (त़) के अनुसार यदि समिति के डेलीगेट/प्रतिनिधियों के पद के विरूद्ध वैध नामांकन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन पदों को प्रबंध समिति द्वारा समिति के सदस्यों में से ही सहयोजन द्वारा भरा जाता है।

15. नियमावली के नियम 21 (थ) के अनुसार निर्वाचन निर्विरोध हो या सविरोध हो, दोनों ही स्थितियों में निर्वाचन परिणाम की घोषणा संचालन पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित की गयी विशेष आमसभा की तिथि को विशेष आमसभा में ही होगी और इसमें चुनाव परिणाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।

16. नियमावली के नियम 21 (ध) के अनुसार प्रत्येक मतदाता को मुद्रित मतपत्र दिया जाना चाहिए, जिसमें चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों का नाम हिन्दी में वर्णानुक्रम में उनके नाम के सामने चुनाव चिन्ह सहित अंकित रहता है। मतदाता चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से जिन्हें मत देना चाहें, उनके चुनाव चिन्ह पर (X) अंकित करेंगे।

मतपत्र क्रमवार रूप से संख्यांकित रहेगा और इस पर समिति की मुहर तथा संबंधित मतदान केन्द्र के निर्वाचन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहता है।

मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जायेगा। मतदाता उस अभ्यर्थी के नाम के समक्ष (X) अंकित करेगे, जिनको अपना मत देना चाहेंगे तथा इसके पश्चात मतपत्र मतपेटी के अंदर डाल देंगे।

सुलभ प्रसंग के लिए उल्लेखनीय है कि क्रमवार से संख्यांकित मतपत्र का दो भाग होता है, एक भाग–अधकट्टी (Counter foil) पर मतपत्र की संख्या दर्ज रहेगी, जिस पर मतदाता से संबंधित जानकारी एवं उसका हस्ताक्षर दर्ज होगा, जबकि मतपत्र के दूसरे भाग अर्थात जो भाग मतदाता को मतदान करने के लिए दिया जाता है, उस पर कोई संख्या (Number) अंकित नहीं रहेगी और न ही मतदाता के पहचान से संबंधित कोई विवरण दर्ज रहेगा। आशय यह है कि मतदाता ने किस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया है, यह पता लगाना असंभव हो।

17. नियमावली के नियम 21 (i) (1) के अनुसार मतदान की समाप्ति के तुरंत उपरान्त मतगणना की जायेगी तथा यदि मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद मतो की गणना संभव नहीं हो, तो मतपेटियों को निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सील कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में मतो की गणना निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा निश्चित किए गए स्थान, समय और तिथि पर संपन्न होगी।

18. नियमावली के नियम 21 (i) (4) के अनुसार जैसे ही मतगणना पूरी हो जाती है, निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए मतो की संख्या भी दर्शायी जायेगी और अपने मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ सफल अभ्यर्थी एवं संचालन पदाधिकारी को लिखित प्रमाण–पत्र प्रदान करेंगे। नियमावली के नियम 21 (i) (5) के अनुसार मतों की समानता की दशा में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लॉटरी निकालकर निर्णय किया जायेगा।

19. व्यवहृयत मतपत्रों तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य अभिलेख एक लिफाफे या पात्रों में रखे जायेंगे और निर्वाचन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी द्वारा इसे सील कर दिया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी भी चाहे तो अपना सील उस पर लगा सकता है। निर्वाचन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार से सील किया हुआ लिफाफा या पत्र समिति के प्रबंधक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सौंप दिया जायेगा, जो इसकी प्राप्ति का रसीद देगा और वह 12 महीने या जब तक के लिए निबंधक निदेश करें, तब तक इसकी निरापद अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

20. समितियों के प्रबंध समितियों के निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन के प्रारंभ से अन्त तक संपादित किये गये सभी कार्यों को दिवसवार अनिवार्य रूप से संचिका/डायरी, जिसे निर्वाचन संचिका/डायरी कहा जायेगा, में अभिलेखित करेंगे।

21. निर्वाचन कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त अगले कार्य दिवस पर निर्वाचन पदाधिकारी/अनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित संचालन पदाधिकारी को निर्वाचन संचिका/डायरी की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ नवनिर्वाचित प्रबंध समिति के पदधारियों एवं निदेशको का पूरा नाम, पदनाम एवं पूरा पता सहित सूची अनिवार्य रूप से समर्पित की जायेगी।

सुदूर दुर्गम क्षेत्र में सहकारिता की पहचान कुचाई लैम्पस

राज्य के सरायकेला–खरसांवा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित प्रखण्ड कुचाई में स्थित कुचाई लैम्पस एक सक्रिय एवं A ग्रेड प्रदत्त लैम्पस है।

लैम्पस में सहकारिता के परंपरागत कार्यों यथा उर्वरक व्यवसाय, धान अधिप्राप्ति, जमावृद्धि व्यवसाय इत्यादि के अलावा निबंधक सहयोग समितियां झारखण्ड द्वारा प्रारंभ की गयी महत्वाकांक्षी योजना प्रज्ञा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के रुप में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

लैम्पस द्वारा वर्ष 2021 –22 में 36.315 मैट्रिक टन यूरिया, 46.75 मैट्रिक टन एन0पी0के0 का व्यवसाय क्षेत्र के लगभग 600 किसानों के मध्य किया गया। इसी प्रकार धान बीज के प्रभेद एमटीयू 7029, एमटीयू 1010 आदि मिलाकर कुल 124.5. क्विंटल का वितरण लगभग 400 किसानों के मध्य किया गया।

समिति ने विभाग द्वारा प्रदत्त कंम्प्यूटर सेट, प्रिंटर आदि का सदुपयोग करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के रुप में भी कार्य प्रारंभ किया है जिसके कारण आसपास के कृषकों एवं ग्रामीणों को काफी सहूलियत हो गयी है और वे अपना अधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनवाने आदि कार्य हेतु लैम्पस में आते हैं। इसके कारण लैम्पस के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के अन्य सदस्य क्षेत्र में लोकप्रिय हो गये हैं।

समिति ने जमा वृद्धि योजना के तहत कुल 3659 खाताधारियों के खाते खोले गये हैं जिसमें कुल 124.234 लाख रूपये जमा हैं जिसमें से 81.962 लाख रू0 सावधि जमा है।

लैम्पस ने विभाग द्वारा निर्मित किये गये गोदाम के अतिरिक्त एक दो मंजीला भवन बनाया है जहां जमावृद्धि कार्यालय, सभाकक्ष इत्यादि हैं, तथा कुछ कमरे किराये पर भी दिये गये हैं। वर्ष 2020–21 में समिति का सकल लाभ 4 लाख 20 हजार 245 रू0 रहा है

कुचाई लैम्पस ने अपने सिमित साधनों के बावजूद अपने अध्यक्ष श्री सुखराम मुण्डा एवं सदस्यों के सहयोग से अच्छा कार्य करते हुए इतने दुर्गम क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद लाभ अर्जित किया है, समिति लगातार किसानों एवं आम जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है और प्रगति के पथ पर है।

लैम्पस/पैक्स में विशेष सदस्यता वृद्धि अभियान

"किसान एवं सहकारिता" ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। किसान भारत में सहकारिता के केन्द्र बिंदु में ही है तथा अधिक से अधिक संख्या में कृषक भाईयों को सहकारिता से जोड़कर उन्हे आर्थिक एवं सामाजिक रुप से सुदृढ़ करना ही सहकारिता का लक्ष्य है।

झारखण्ड में जून माह तक लैम्पस/पैक्स में 9,96,033 परिवार सदस्य थे, जबकि राज्य में कृषक परिवारों की संख्या 38 लाख से अधिक है। प्रायः इस प्रकार की शिकायतें होती हैं कि लैम्पस तथा पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव उस क्षेत्र के लोगों को समिति में सदस्य नहीं बनाना चाहते हैं, अथवा अपने घर परिवार अथवा अपने समर्थकों को ही सदस्यता प्रदान करते हैं ताकि उन्हे अधिकाधिक लाभ पहुंच सके तथा समिति में उनके विराधियों की संख्या नियंत्रण में रहे। समिति में निर्वाचन के वक्त भी यह कारक उनके हित में जाता है तथा वे आसानी से चुनाव में निर्वाचित हो जाते हैं।

> एक माह तक चले इस विशेष सदस्यता वृद्धि अभियान में कुल 4,42,670 नये परिवारों को लैम्पस पैक्स की सदस्यता प्रदान कर सहकारिता से जोड़ा गया।

विभाग के माननीय मंत्री श्री बादल के निदेश के आलोक में निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड ने लैम्पस एवं पैक्स में अधिक पारदर्शिता एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में अधिक से अधिक किसान परिवारों को सहकारिता से जोड़ने का फैसला करते हुए 4 जुलाई, 2022 से 3 अगस्त, 2022 तक पूरे राज्य में जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक विशेष सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया गया। अभियान की राज्य स्तरीय शुरुआत रांची के नामकुम लैम्पस से दिनांक 4 जुलाई, 2022 को माननीय विभागीय मंत्री श्री बादल, खिजरी के मा0 विधायक श्री राजेश कच्छप, निबंधक, सहयोग समितियां, श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, नामकुम लैम्पस के अध्यक्ष रामवतार केरकेट्टा तथा अन्य गणमान्य अतिथियों एवं विभागीय पदाधिकारियों द्वारा की गयी।

दिनांक 4 जुलाई, 2022 से 3 अगस्त, 2022 तक सभी लैम्पस/पैक्सों में कैंप लगाकर एवं व्यापक प्रचार प्रसार के साथ अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। विशेष सदस्यता वृद्धि अभियान की राज्य स्तर पर निबंधक कार्यालय से प्रत्येक दिन नोडल पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की गयी। एक माह तक चले इस विशेष सदस्यता वृद्धि अभियान में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची में 1,99,967, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग में 1,21,241 तथा संथाल परगना प्रमंडल, दुमका में 1,21,462 यानि कुल 4,42,670 नये परिवारों को लैम्पस पैक्स की सदस्यता प्रदान कर सहकारिता से जोड़ा गया इसके साथ लैम्पस एवं पैक्सों में सदस्य संख्या 9,96,033 से बढ़कर 14,38,703 हो गयी है तथा इसमें उत्तरोत्तर और वृद्धि हो रही है।

सहकारिता आन्दोलन को मजबुत बनाने हेतु सदस्यों की सहभागिता आवश्यक है, भारत की आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा आज भी गांवों में निवास करता है जो कृषि एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों पर ही निर्भर है। कृषकों की मेहनत एवं अथक प्रयासों से भारत की 130 करोड़ की अबादी के लिये अनाजों एवं सब्जियों की का उत्पादन होता है लैम्पस/पैक्स इनकी गतिविधि को त्वरित गति से संचालित करने के एक सशक्त माध्यम हैं । लैम्पस/पैक्स ज्यादा प्रभावी तब होंगे जब वे स्वयं मजबूत होंगे तथा उस ग्राम एवं पंचायत में निवास करने वाले शत प्रतिशत कृषक परिवार उनके माध्यम से सहकारिता से जुडेंगे, इसी को दृष्टिगत रखते हुए सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया गया तथा इसमें सभी लैम्पस–पैक्स के अध्यक्षों, सदस्य सचिवों, कार्यकारिणी के सदस्यों तथा विभागीय पदाधिकारियों के अथक प्रयास एवं व्यापक प्रचार प्रसार से आशातीत सफलता इस बात की द्योतक है कि आने वाले समय में सहकारिता राज्य की आर्थिक दशा एवं दिशा बदलने में एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

प्रधान सम्पादक : मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निबंधक, स0 स0, झारखण्ड **सम्पादक** : जय प्रकाश शर्मा, उप निबंधक, स0 स0
सम्पादकीय सहयोग : राकेश कुमार सिंह, स0 नि0, कुमोद कुमार, स0 नि0
निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं अन्नपूर्णा प्रेस एण्ड प्रोसेस, राँची द्वारा मुद्रित।
पता : तृतीय तल, पशुपालन एवं सहकारिता भवन, हटिया - 834004, दूरभाष : 0651-2290444
e-mail : jharkhand.coopregistrar@gmail.com, website : cooperative.jharkhand.gov.in